भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 189*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

केरल में उर्वरक की कमी

189*. श्री के सुधाकरन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में गैर-यूरिया उर्वरकों, विशेष रूप से म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की स्थानीय स्तर पर बार-बार और भारी कमी हो रही है, जिसकी सूचना किसानों और बागान क्षेत्रों द्वारा व्यस्ततम उपयोग के मौसम के दौरान दी जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मौजूदा राजसहायता तंत्र के बावजूद गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं और केरल की संवेदनशील बागान अर्थव्यवस्था के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए एमओपी और एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के बाजार मूल्यों को स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल के अंदर काफी अधिक राजसहायता प्राप्त यूरिया के कथित रूप से गैर-कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विपथन के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिससे वास्तविक किसानों के लिए इसकी कमी बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य भर में आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन को रोकने और कृषि खुदरा बिक्री केंद्रों को समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला-वार क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'केरल में उर्वरक की कमी' के संबंध में श्री के सुधाकरन द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 189* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): चल रहे रबी मौसम 2025-26 और खरीफ मौसम 2025 के दौरान केरल राज्य में गैर-यूरिया उर्वरकों जैसे डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। इन 2 मौसमों के दौरान केरल में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:

I. रबी 2025-26 (08.12.25 तक)

<सभी आँकड़े एमटी में>

क्र.सं.	**उत्पाद समूह**	**08.12.2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता**	**08.12.2025 तक उपलब्धता**	**08.12.2025 तक डीबीटी बिक्री**	**08.12.2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	**डीएपी**	3,367	7,410	5,590	1,820
2	**एमओपी**	26,011	34,610	19,790	14,820
3	**एनपीकेएस**	31,387	56,310	32,260	24,050

II. खरीफ 2025

क्र.सं.	**उत्पाद समूह**	**मौसमी आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**अंतिम स्टॉक**
1	**डीएपी**	12,000	17,500	11,130	6,370
2	**एमओपी**	40,020	57,360	46,910	10,450
3	**एनपीकेएस**	69,000	89,280	64,230	25,050

इसके अलावा, केरल राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए समय पर मांग-पत्र भेजकर निर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(v) रेल मंत्रालय के साथ पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेक की समय पर निकासी के लिए नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

तथापि, जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का आकलन और वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी को नियंत्रितमुक्त रखा गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी उचित स्तर पर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। कंपनियों द्वारा निर्धारित पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 15.11.2019 और दिनांक 18.01.2024 को तर्कसंगतता दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीओएस बिक्री पर, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर निर्माता/आयातक को एनबीएस सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो उनमें निहित पोषक तत्व मात्रा पर निर्भर करती है। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें तय करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता पर विचार किया जाता है ताकि उर्वरक किसानों के लिए किफायती बने रहें। एनबीएस स्कीम केरल राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर पूरे भारत में लागू है और इसमें कोई क्षेत्रीय भेदभाव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): कालाबाजारी, विपथन, जमाखोरी और अधिक मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती है। तदनुसार, सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के विपथन सहित इन कदाचारों को रोकने के लिए केरल राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2025 से 28.11.2025 तक किए गए प्रवर्तन उपायों के बारे में विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.189* के उत्तर के भाग (ग) से (घ) से संबंधित है।

अप्रैल 25 से नवम्बर 25 तक (28.11.2025 तक) का संचयी विवरण																	
01.04.2025 से 28.11.2025 तक कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई																	
		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध*	कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर
केरल	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	शून्य	52	0	3